न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सौंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 1/16 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. नारायण सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
2. जगदीश सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
3. मातादीन सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
4. श्याम लाल सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
5. रामेश्वर सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
6. पूरण सैनी पुत्र श्योसहाय सैनी जाति माली निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

:----- अपीलार्थीगण

बनाम

1 सावित्री कंवर बेवाह रामसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर
2 गायत्री कंवर पुत्री स्व0 रामसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर
3 रिंकू कंवर पुत्री स्व0 रामसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम करारणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 हिरल कंवर पुत्री स्व0 रामसिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम कराणा तहसील बानसूर जिला अलवर

5 रिद्धी कंवर पुत्री स्व0 रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कराणा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

6 जयसिंह पुत्र गणपत राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम कराणा तहसील बानसूर जिला अलवर

7 किशन सिंह पुत्र गणपत राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम कराणा तहसील बानसूर जिला अलवर

8 विक्रम सिंह पुत्र गणपत राजपूत जाति राजपूत निवासी ग्राम कराणा तहसील बानसूर जिला अलवर

9 राज0 सरकार जरिये तहसीलार, बानसूर लैंड होल्डर

:---- प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,बानसूर
दिनांक 15.12.2015

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांटस :- श्री उमेश कौशिक

2. वकील रेस्पो0 :- श्री मूलचन्द चौधरी

निर्णय दिनांक 15.04.21

------ --------------

1 प्रस्तुत अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा विविध प्रार्थना पत्र संख्या 102/13 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 के खिलाफ है, जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 597 में से रास्ता काटकर नक्शे में अमल करने के आदेश दिये गये हैं ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रामसिंह वगैराने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट की उपधारा 01 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 595 रकबा 1.95 हेक्टेयर वाके ग्राम बडागांव तहसील बानसूर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1.52 हेक्टेयर में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

से 10 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 595 तक नया मार्ग चाहने हेतु प्रस्तुत किया था । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहत अदालत ने मौका रिपोर्ट तलब की । मौका रिपोर्ट दिनांक 28.2.14 में बताया गया था कि खसरा नम्बर 595 से खसरा नम्बर 598 तक पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 597 में लम्बाई 74 मीटर व रास्ते की चौडाई 4 मीटर कुल 296 (74 गुणा 4 मीटर) वर्ग मीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित है । इस रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण ने आपत्ति की कि प्रस्तावित रास्ते पर बोरिंग निर्माण किया हुआ है । इस पर तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई । इस मौका रिपोर्ट दिनांक 9.10.15 में बताया गया कि पूर्व में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 597 में खातेदारों ने बोरिंग निर्माण किया हुआ है । परन्तु उक्त बोरिंग के पास की डोल से 20 मीटर छोडकर रास्ता दिया जा सकता है । इस रिपोर्ट में खसरा नम्बर 597 में 76 मीटर लम्बा व 4 मीटर चोडा रास्ता हेतु भूमि 304 वर्ग मीटर प्रस्तावित की । इस रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण ने आपत्ति की कि खसरा नम्बर 597 में से रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है तथा खसरा नम्बर 594, 592, 627, 628, 589, 590 में से रास्ता दिया जा सकता है । इसके बाद तहत अदालत ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 597 में से 10 फुट चौडा रास्ता दिया जाकर नक्शे में अमल करने का निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अप्रार्थीगण अपीलांटस का कथन है कि तहत अदालत ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु जारी पत्र में यह अंकित नहीं किया कि खसरा नम्बर 597 में रास्ता दिया जाना है, उसकी सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जावे । कानूनगो, पटवारी ने गलत रिपोर्ट की है कि खसरा नम्बर 595 में खसरा नम्बर 598 तक पहुंचने के लिये सबसे छोटा रास्ता खसरा नम्बर 597 में से दिया जा सकता और उस गलत रिपोर्ट के आधार पर ही तहत अदालत ने निर्णय पारित कर दिया । हमारी भूमि खसरा नम्बर 597 में से 10 फुट रास्ता देने से हमारी सम्पूर्ण भूमि खराब हो जायेगी। हमारी खातेदारी की भूमि का साबिक खसरा नम्बर 146 था । पूर्व में रेस्पो0 संख्या 07 किशनसिंह की पत्नि ने ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 146 में से रास्ता चाहा था, जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया था और ग्राम पंचायत ने यह माना था कि रास्ता खसरा नम्बर 146 के सहारे दक्षिण की ओर पूर्व से ही मौजूद है । इस तथ्य को प्रार्थीगण ने तहत अदालत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

में छिपाया है । पूर्व में तहसीलदार बानसूर ने भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया था। हमने पडौसी खेतों के खातेदारों के हलफनामे भी दिये थे कि रास्ता खसरा नम्बर 593 व 594 के मध्य है तथा चालू है । जिस पर भी तहत अदालत ने गौर नहीं किया । जब पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है और चालू है तो ऐसी स्थिति में सुगमता की आड में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । तहत अदालत ने धारा 251 (क) के प्रावधानों का अध्ययन नहीं किया । इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अगर पहले से ही रास्ता उपलब्ध है तो सुलभ मार्ग के आधार पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने नजीर 2017 डी0 एन0 जे0 पेज 01 में प्रतिपादित किया है । इसके अतिरिक्त विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन में धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट के प्रावधान प्रस्तुत किये और निवेदन किया कि तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि हमारी भूमि का खसरा नम्बर 595 है तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का खसरा नम्बर 598 है । हमारे खेत से इस सडक तक पहुंचने के लिये हमने खसरा नम्बर 597, जो कि अपीलांटस का है, में से रास्ता चाहा है । मौका रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि खसरा नम्बर 597 में से रास्ता दिया जा सकता है । अपीलांट का यह कहना गलत है कि पूर्व से ही अन्य खसरा नम्बरों में से रास्ता उपलब्ध है । अब अगर अन्य खसरा नम्बरों में से रास्ता दिया जायेगा तो वह रास्ता काफी दूर होगा और काफी काश्तकार प्रभावित होंगे । पूर्व से अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। साथ ही विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017 डी0 एन0 जे0 पेज 01 तथा धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन किया और तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट 9.10.2015 का अवलोकन किया तो पाया कि इस रिपोर्ट में यह तो बताया गया है कि खसरा नम्बर 595 में से खसरा नम्बर 598 रास्ता तक पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 597 में से रास्ता दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जा सकता है, परन्तु यह नहीं बताया गया कि क्या पहले से ही अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के लिये उपलब्ध है, पूर्व में प्रार्थीगण किस खसरा नम्बर में से होकर आते जाते थे । ताराचन्द वगैरा ने अपने शपथ पत्रों में बताया है कि प्रार्थीगण अपने खेत नम्बर 595 में पूर्णसिंह वगैरा के खेतों खसरा नम्बर 590, 587, 593, 594 में से होकर आते जाते हैं । तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया । तहत अदालत ने अपने निर्णय में विवेचन किया है कि खसरा नम्बर 594, 592, 627, 628, 589, 590 में से रास्ता दिये जाने से अधिक दूरी काश्तकार को तय करनी होगी तथा इन खसरा नम्बरों के सभी काश्तकार प्रभावित होंगे । सुगम रास्ता प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 597 में से ही दिया जा सकता है ।

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि मौका रिपोर्ट में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि क्या पूर्व से ही अन्य खसरा नम्बरों में से प्रार्थीगण रेस्पो0 के लिये रास्ता उपलब्ध है या नहीं । ना ही तहत अदालत ने इस तथ्य की जांच कराई कि प्रार्थीगण के लिये पूर्व से ही कोई रास्ता उपलब्ध है या नहीं । इतना ही नहीं, तहत अदालत ने सुगम रास्ता के लिये खसरा नम्बर 597 में से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिसे कि धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017 डी0 एन0 जे0 पेज 01 में माननीय राजस्व मण्डल ने धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट में दिये गये प्रावधानों की व्याख्या करते हुये प्रतिपादित किया है कि धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट में सुलभ मार्ग प्रदान करनें का प्रावधान नहीं है तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता,अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, निचले अदालतों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटि की है । मौजूदा प्रकरण में तहत अदालत को सर्वप्रथम इस तथ्य की जांच करानी चाहिये थी कि क्या प्रार्थीगण के पास पहले से ही कोई रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं, प्रार्थीगण पहले किस रास्ते से आते जाते थे । मौका रिपोर्ट में भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है । तहत अदालत को सुलगम मार्ग के आधार पर खसरा नम्बर 597 में से रास्ता देना था और केवल इसी खसरा नम्बर की बाबत मौका रिपोर्ट तलब कर ली । इस प्रकार तहत अदालत का निर्णय धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट में दिये गये प्रावधानों तथा विद्वान वकील अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

द्वारा प्रस्तुत नजीर 2017 डी0 एन0 जे0 पेज 01 में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत नहीं है । लिहाजा प्रकरण में धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण का रिमांड किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 15.12.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत अदालत को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि वो पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवावे, जिसमें इस तथ्य का भी हवाला हो कि क्या पूर्व से अन्य खसरा नम्बरों में से प्रार्थीगण के लिये कोई रास्ता उपलब्ध है या नहीं । इसके पश्चात धारा 251 ए टिनेंसी एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 20.05.2021 को उपस्थित हों ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

15/4/2021

(अशोक कुमार सांखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर